"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010—आश्विन 9, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993) आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997) कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

श्रीमती बारिक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. (1997) संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं एवं विशेष सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री धनंजय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् अधिसमय वेतनमान का संवर्गीय पद, आयुक्त, आदिवासी विकास के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा एवं राज्य साक्षरता मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को अवकाश से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, दन्तेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा पदस्थ किया जाता है.

3. श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बीजापुर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारी को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण (Mid-Career Training), Phase-III दिनांक 30-7-2010 को एवं आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2010 से, सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री राजपाल सिंह त्यागी, (सीजी: 2001)	कलेक्टर, कोरबा	कलेक्टर, कोरबा

2. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-5-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ. 1-3/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, सरगुजा जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05-भटगांव के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि शुक्रवार दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-3/2010/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पीढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, सरगुजा जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05-भटगांव के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि शुक्रवार दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-3/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री आई. एम. कुद्दूशी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 13 अप्रैल 2010 से 20 अप्रैल 2010 तक (08 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्र मंडल खेल (कामनवेल्थ) 2010 में रोमन कुश्ती शैली में मैनेजर के रूप में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 04-10-2010 से 14-10-2010 तक कुल 11 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 2 एवं 3-10-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने एवं उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे के उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री जे. पी. मड़वार, अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर को सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, संचालक, लोक अभियोजन, छ. ग. रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-11/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 68 में सम्मिलित "रजभर" के पश्चात् "राजभर" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-13/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल (गमैल), सिरवी" के पश्चात् "चंदनाहू, चन्नाहू" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-19-53/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 27 में सम्मिलित "गुसाई, गोस्वामी" के पश्चात् "गोसाई" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-19-54/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत" के पश्चात् "गोपाल" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-2/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ज़िला सरगुजा के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 05 भटगांव में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 01 अक्टूबर, 2010 दिन शुक्रवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 01 अक्टूबर, 2010, दिन शुक्रवार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है. साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-1/2001/10-2.—विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-10-2004, दिनांक 07-02-2005, दिनांक 23-07-2007 एवं दिनांक 02-08-2008 के तारतम्य में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड में सदस्यों का नामांकन एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :—

I विधान सभा के तीन विधायक :—

(i) माननीय श्री सौरभ सिंह जी, विधायक अकलतरा

(ii) माननीय श्री भीमा मण्डावी जी, विधायक दंतेवाड़ा

(iii) माननीय श्री टी. एस. सिंग देव जी, विधायक अंबिकापुर

II वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि :— (दो वर्ष के लिए)

(i) विश्व प्रकृति निधि नई दिल्ली के प्रतिनिधि

(ii) वाइल्ड लाईफ एस.ओ.एस., 102 नीलगीरी ग्रीन गार्डन कालोनी, बिलासपुर के प्रतिनिधि

(iii) वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रतिनिधि

III ख्यातिप्राप्त पारिस्थितिकीविद्, पर्यावरण विद् एवं संरक्षणविदों में से राज्य शासन द्वारा नामित व्यक्ति :— (दो वर्ष के लिए)

(i) डॉ. सुशांत चौधरी, वैज्ञानिक, भारतीय वन्य जीव संस्थान पो.बा.नं. 18 चन्द्रबनी देहरादून 248001

(ii) श्री नितीन देसाई, सदस्य वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ़ इंडिया, स्वरूपानंद हाऊसिंग सोसायटी नागपुर 440015.

(iii) श्री प्राण चड्ढा, सम्पादक दैनिक भास्कर, बिलासपुर

(iv) श्री संदीप पौराणिक, सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन, एफ-11 शांति नगर सिंचाई कालोनी, रायपुर

(v) श्री व्ही. एस. सिलेकर, वन अधिकारी, वन्यप्राणी विशेषज्ञ

(vi) श्री ए. एच. के. मिंज, सेवानिवृत्त वन अधिकारी एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञ

(vii) डॉ. पी. एस. ईशा, हाथी विशेषज्ञ अनुग्रहम अप्सरा गार्डन नेलीकुनु ईस्ट फोर्ट त्रीसूर, केरला.

(viii) श्री शरद वर्मा, संस्थापक, बस्तर प्रकृति बचाओ समिति जीवन सदन नयापारा जगदलपुर 494001

(ix) पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष

(x) श्री एस. जी. चौहान, संरक्षणविद्, वरिष्ठ समन्वयक मध्य भारत सतपुड़ा मैकल लैण्डस्केप महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विश्व प्रकृति निधि भारत.

3. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिये राज्य शासन के ग्रुप "ए" के अधिकारियों को देय दरों पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/9058/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मोखली प. ह. नं. 28	0.259	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	मोखली बांकल पनेका मार्ग के शिवनाथ नदी सेतु निर्माण पहुंच मार्ग.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ/82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	हरदी प. ह. नं. 36/20	572	0.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	चिखलपानी टारबंड योजना.
			709	0.03		
			811	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			822	0.09		
			82/3	0.07		
			822/4	0.04		
			822/5	0.11		
			840	0.24		
			853	0.21		
			854	0.12		
			855	0.07		
			856	0.03		
			925/1	0.01		
			925/2	0.01		
			926	0.03		
			927	0.04		
			928/1	0.10		
			928/2	0.04		
			928/3	0.05		
			928/4	0.11		
			929	0.02		
			930	0.03		
			978	0.15		
			979/2	0.12		
			979/3	0.04		
			979/6	0.08		
			980	0.04		
			981/1	0.10		
			981/5	0.04		
			981/7	0.01		
			1008/4	0.07		
			1008/5	0.02		
			1017	0.05		
			1018	0.02		
			1022	0.02		
			1023/1	0.03		
			1023/2	0.02		
			1024/1161	0.02		
			1027	0.12		
			1028/2	0.02		
			928	0.05		
			92[illegible]	0.03		
			933	0.02		
			935	0.05		
			932/4	0.05		
			936	0.02		
			956	0.05		
			971/1	0.07		
			972	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			973	0.06		
			976	0.07		
			1064	0.07		
			1075	0.09		
			1077	0.03		
			1065/1	0.05		
			1076	0.08		
			1080	0.02		
			1081	0.08		
			1082	0.05		
			1085/1	0.09		
		योग	62	3.74		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2010

क्रमांक 154/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोड़ासागर प.ह.नं. 09	0.060	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बोड़ासागर माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	भागोडीह प.ह.नं. 17	4.909	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला, जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	रिस्दा प.ह.नं. 12	37.255	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु (600 MW विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 20	0.287	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रायगढ़.	लोईंग - मौहापाली - जामगांव मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 5/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मरवाही	13.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 19/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	चिचगोहना	2.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्रमांक 6/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मनौरा	3.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 01/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोदरी	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	आर.ओ.बी. के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 15/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सेमराडीह	6.68	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्रमांक 16/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुकुरदीकेरा	0.42	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्रमांक 17/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मौहाडीह	3.66	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक/02/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	45/2	0.88
	229	0.22
	45/3	0.10
	46	0.66
योग	4	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक/03/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	229	0.11
	228	0.04
	215	0.02
	225	0.05
	226	0.04
	216	0.03
	140/1	0.03
	199	0.06
	200	0.02
	202	0.06
	203	0.01
	185/3	0.03
	185/3	0.08
	185/5	0.05
	326	0.12
	327	0.30
	328	0.10
	165	0.14
	164	0.09
	147	0.01
	148	0.05
	149	0.07
	141	0.02
	129	0.10
	140/2	0.05
	152	0.01
	153	0.13
	154	0.04
	156	0.07
	155	0.01
	159/1	0.02
योग	31	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-बेमेतरा
 (ग) नगर/ग्राम-ढोलिया, प.ह.नं. 23
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	426	0.72
	432	0.70
	418/1	0.50
	418/2	0.50
योग	4	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-नवागढ़
 (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 25
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28	0.34
	29	1.02
	30	0.36
	31	0.23
	32/1	0.40
	32/2	1.53
	33	0.79
	34	0.21
	36	0.18
	37	0.44
	38	0.14
	40	0.88
	41	0.74
	42	1.40
	160	1.65
योग	15	10.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-नवागढ़
(ग) नगर/ग्राम-तिलईपार, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.13
2/5	0.03
2/7	0.06
3	0.03
4/1	0.09
4/2	0.15
118/1	0.04
118/3	0.12
177/1	0.09
177/2	0.01
176	0.09
181/2	0.02
239	0.14
183/1	0.06
183/2	0.08
223	0.02
303	0.03
224	0.05
233	0.02
287	0.08
232/3	0.04
182	0.11
295	0.08
304/2	0.05
305	0.06
291	0.07
349	0.03
222	0.02
234	0.10
237	0.03
302	0.03
योग 31	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियमं, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-छोटेभंडार, प.ह.नं. 39
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.607 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/6	0.299
152/1	0.231
110/4	0.303
146/4	0.081
151/2	0.040
153/1	0.178

(1)	(2)
149/3	0.040
108/4	0.109
152/2	0.279
155/4	0.084
102/10	0.090
155/1	0.125
102/308/5	0.020
155/5	0.093
87/1	0.110
89	0.138
99/2 क	0.088
112/1	0.088
154/1	0.028
124/1	0.101
148/2	0.109
148/1	0.202
148/4	0.235
128/3	0.125
143/1	0.115
148/3	0.219
108/7	0.069
99/1 क	0.085
37/2	0.166
37/4	0.109
38/3	0.109
151/1	0.138
147/1	0.065
147/2	0.061
153/2	0.263
14/9	0.045
50/6	0.127
75/1 घ	0.125
87/2	0.109
93/3	0.112
14/8	0.101
24/4	0.016
154/4	0.033
99/2 ग	0.092
112/3	0.092
154/2	0.032
124/2	0.101
126/2	0.360
51/1	0.077
102/308/4	0.044
102/1	0.154
102/5	0.137
137/2	0.077
155/6	0.231
110/11	0.151
136/2	0.091
149/6	0.029
14/4	0.204
14/6	0.020
15/4	0.014
18/2	0.110
24/2	0.032
50/4	0.066
59/6	0.103
66/2	0.206
99/1 ख	0.093
151/5	0.105
155/8	0.044
149/7	0.029
135	0.421
6/27	0.039
136/6	0.117
102/2	0.332
148/5	0.110
110/1	0.445
155/2	0.057
44/3	0.028
144/2	0.101
योग 78	9.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-बड़ेभंडार, प.ह.नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.897 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
129/5 ख	0.069
34/1 ग	0.007
77/2 ग	0.042
212/2 ख	0.004
243/4	0.085
155/2	0.051
155/859/2	0.015
379/857/2	0.013
77/2 च	0.040
243/8	0.109
82/3	0.145
147/3	0.069
159/3	0.012
174/4	0.134
244/3	0.049
249/3	0.025
320/5	0.083
321/3	0.083
320/8	0.040
321/6	0.040
105/1	0.152
356/1	0.733
361/1	0.454
129/2 क	0.102
243/6	0.105
158/2	0.061
34/2	0.049
129/1	0.134
129/4	0.109
34/1 ड़	0.050
77/2 छ	0.113
129/5 ग	0.057
243/9	0.202
105/2	0.121
105/3	0.075
239/3	0.069
239/4	0.069
239/5	0.069
262/2	0.174
280/3	0.231
247	0.214
53/3	0.014
104/2 क	0.057
147/1	0.251
169/2	0.101
202/2	0.040
203/2	0.085
221/1	0.030
34/1 क	0.018
77/2 क	0.085
129/2 ख	0.032
34/4	0.045
77/1 ग	0.113
129/7	0.109
212/1	0.097
129/5 क	0.093
34/1 ख	0.007
77/2 ख	0.042
212/2 ख	0.040
243/1	0.085
155/859/1	0.066
77/2 ड़	0.040
243/7	0.069
34/1 घ	0.007
77/2 घ	0.042
212/2 ग	0.040
243/5	0.049
155/3	0.066
169/3	0.057
51/3	0.081
208	0.287
110	0.526
150	0.182
300/2	0.235
348/1	0.372
361/2	0.312
34/3	0.093
77/3	0.320
129/3	0.162
129/6	0.210
159/2	0.013
174/3	0.137
273	0.227

(1)	(2)	(1)	(2)
244/2	0.046	349/2	0.105
249/2	0.026	357/1	0.898
280/2	0.040	286/1 ख	0.026
280/5	0.077	374/2 क	0.026
286/2, 274/2 ख	0.109	319/3	0.064
320/7	0.012	340/3	0.324
321/5	0.012	345/2	0.101
320/9	0.024	374/1 क	0.158
321/7	0.024	327/4	0.053
320/4	0.052	207/2	0.110
321/2	0.053	3/1	0.040
82/2	0.097	12/1	0.071
147/4	0.065	98/1	0.091
159/1	0.384	114/1	0.056
174/2	0.134	141/1	0.227
244/1	0.047	229/6	0.162
286/4	0.055	229/10	0.231
274/2 ग	0.054	281	0.069
249/1	0.026	310/1	0.037
280/1	0.040	316/1	0.081
280/4	0.077	337/1	0.364
320/6	0.049	351/2	0.093
321/4	0.048	3/2	0.041
320/3	0.023	12/2	0.071
321/1	0.022	98/6	0.091
35	0.053	114/5	0.057
167	0.125	141/5	0.227
169/1	0.320	229/2	0.198
202/1	0.085	229/11	0.223
204/4	0.085	284	0.121
184/4	0.117	310/5	0.037
241	0.125	376	0.579
352/2	0.360	375	0.093
22/1	0.202	139/2	0.202
259	0.206	4/3	0.024
371/3, 377/2	0.464	19/3	0.057
108	0.388	99/2	0.038
312	0.036	113/4	0.053
100/2	0.259	303/1	0.210
107	0.405	315/3	0.009
250	0.101	53/5	0.014
346/1	0.425	104/2 ग	0.020
115/1	0.113	90/2	0.008
154	0.255	239/2	0.016
163/1	0.154	37/2	0.089
276	0.279	46/2	0.089

(1)	(2)
48	0.061
102/2	0.049
112/2	0.101
165/2	0.154
19/1	0.032
25/855/1	0.065
26	0.049
63	0.166
99/1	0.223
113/1	0.229
234/3	0.105
292/3	0.109
295/1	0.069
302/2	0.101
303/3	0.510
315/5	0.029
350/1	0.173
355/3	0.384
355/4	0.146
355/6	0.158
292/1	0.240
41/4	0.115
130	0.178
156/1	0.077
185/3	0.208
186	0.105
51/4	0.113
1	0.166
2	0.077
100/1	0.263
212/3	0.105
227	0.166
228	0.490
82/1	0.138
147/2	0.008
122/2	0.202
122/3	0.190
279/3	0.057
304	0.478
311	0.105
316/5	0.081
337/7	0.146
230/1	0.243
372	0.478
373/2 ख	0.024
254/2	0.150
177	0.413
74	0.049
83	0.081
175	0.336
योग 225	29.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-33.827 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
404/2	0.105
466/2	0.024
470/4	0.101
476/6	0.054
552/4	0.029
622/6	0.036
556	0.328
434/1	0.131
451/1	0.012

(1)	(2)
476/2	0.054
474/2 ख	0.017
533/2	0.016
622/2	0.032
568/1	0.109
570/2	0.141
595/2	0.046
392/4	0.061
392/2	0.263
458/2	0.085
549/2	0.053
567/1	0.134
568/2	0.085
614	0.287
405	0.174
475/2	0.081
606	0.125
425	0.153
477/1	0.230
478/1	0.141
616	0.494
398/2	0.150
410	0.235
424/1	0.117
402/1	0.097
511/2	0.033
512	0.061
570/4	0.162
572	0.231
584/1	0.162
581/3	0.065
585/2	0.060
623/1	0.263
622/5	0.036
591	0.147
592	0.150
593	0.223
594	0.101
398/1	0.077
607	0.113
434/2	0.132
451/11	0.054
466/3	0.024
476/3	0.053
622/3	0.032
466/7	0.053
474/2 क	0.036

(1)	(2)
511/1	0.032
533/3	0.017
570/3	0.162
581/1	0.105
623/2	0.121
476/7	0.054
552/3	0.029
622/7	0.036
445/2	0.069
448/2	0.048
255/3	0.101
550/1	0.186
451/4	0.069
609/2	0.097
438	0.109
485	0.129
602/1	0.081
617/2	0.158
411	0.198
429/2	0.081
431	0.093
479/3	0.105
413	0.223
605/4	0.062
407/2	0.057
424/2	0.113
418	0.109
421/2 ख	0.190
415	0.129
417	0.223
458/1	0.825
554	0.085
555	0.194
561	0.267
565	0.182
569/1	0.943
589	0.178
590	0.547
596	0.534
604	0.304
615	0.162
624	0.166
610	0.154
613	0.061
451/7	0.065
520/4	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
520/5	0.069	528/2	0.219
527	0.328	549/1	0.057
603/2	0.121	567/3 क	0.077
515	0.121	400	0.158
451/5	0.105	401/1	0.073
451/6	0.214	401/2	0.020
402/2	0.170	437	0.109
402/3	0.085	456	0.202
402/4	0.085	457	0.166
426/1	0.062	620	0.170
436/2	0.081	420/1	0.057
436/3	0.040	442/1	0.034
436/4	0.041	442/3	0.034
436/5	0.040	442/4	0.034
436/6	0.041	449/1	0.073
460/1	0.066	449/4	0.037
460/2	0.033	449/5	0.038
460/3	0.033	449/6	0.038
460/4	0.033	516/1	0.012
460/5	0.033	516/2	0.012
517/1	0.081	477/2	0.235
517/2	0.006	478/2	0.142
571/3	0.087	449/2	0.081
421/2 क	0.067	449/3	0.109
574/1575/1	0.027	466/6	0.016
574/2, 575/2	0.027	568/3	0.110
574/3, 575/3	0.081	570/1	0.081
574/4, 575/4	0.121	570/5	0.061
574/5, 575/5	0.027	585/1	0.082
574/6, 575/6	0.021	586	0.267
576/1	0.033	581/2	0.227
576/2	0.032	595/3	0.047
576/3	0.032	397	0.251
576/4	0.032	523	0.028
503	0.486	597	0.166
466/5	0.036	428	0.085
466/8	0.097	420/2	0.081
519	0.045	479/1	0.105
598	0.105	502	0.190
393/2	0.121	621	0.571
429/1	0.069	626	0.291
475/3	0.065	414/1	0.105
520/2	0.125	466/4	0.024
520/3	0.154	469	0.040
520/6	0.105	476/4	0.054
605/2	0.028		

(1)	(2)	(1)	(2)
622/4	0.031	468/1	0.102
442/2	0.032	470/1	0.291
473	0.105	466/10	0.253
475/6	0.020	552/6	0.115
520/1	0.085	421/2 च	0.067
530/1	0.287	443/1	0.071
404/1	0.105	443/2	0.071
466/9	0.016	419	0.174
470/3	0.105	451/3	0.081
476/5	0.053	451/12	0.081
521	0.081	445/1	0.332
552/5	0.029	448/1	0.072
595/1	0.093	450/1	0.237
421/2 ग	0.045	532/1	0.053
421/2 घ	0.105	611/1, 612/1	0.117
421/2 ङ	0.065	611/2, 612/2	0.081
441/1	0.012	450/2	0.107
441/2	0.020	386/1	0.033
441/3	0.004	387	0.113
441/4	0.004	394	0.024
441/5	0.004	395/1	0.081
441/6	0.006	395/3	0.065
441/7	0.006	409/1	0.046
441/8	0.008	409/3	0.047
441/9	0.008	560/1	0.147
441/10	0.053	560/2	0.057
444/1	0.126	560/3	0.147
444/2	0.040	560/4	0.056
446	0.178	560/5	0.012
447	0.149	560/6	0.041
558/1	0.010	560/7	0.016
558/2	0.010	560/8	0.005
571/1	0.025	560/9	0.005
571/2	0.097	560/10	0.006
571/3	0.024	560/11	0.016
571/4	0.012	560/12	0.041
571/5	0.012	560/13	0.041
608/1	0.049	560/14	0.049
608/2	0.149	560/15	0.040
531/2	0.008	560/16	0.048
532/2	0.085	560/17	0.033
600	0.081	562/1	0.049
601	0.089	516/3	0.012
433/1	0.117	518/1	0.003
433/2	0.106	518/2	0.003
403	0.462	518/3	0.003
464	0.121	518/4	0.009

(1)	(2)
518/5	0.010
559	0.142
587/1	0.024
587/2	0.024
587/3	0.015
587/4	0.016
587/5	0.016
587/6	0.047
577/2	0.097
578/1	0.121
579	0.032
583	0.032
584/2	0.040
525	0.061
580/1	0.372
580/3	0.178
603/1	0.327
627	0.821
582	0.182
552/1	0.029
470/2	0.040
466/1	0.024
476/8	0.053
622/8	0.036
619	0.219
622/1	0.032
625/1	0.033
625/2	0.033
625/3	0.066
625/4	0.066
393/1	0.291
योग 318	33.827

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीभौना, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.096 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
300/3	0.007
300/8	0.007
300/9	0.007
300/10	0.007
302/1	0.029
302/10	0.028
302/11	0.028
302/12	0.029
302/7	0.040
274/2, 274/3	0.170, 0.121
294/3	0.008
294/2	0.073
302/5	0.150
264/2	0.053
264/3	0.045
264/4	0.267
264/5	0.073
264/11	0.262
285/2	0.393
315	0.162
273/1 क	0.069
279/1	0.149
279/22	0.150
309/4	0.043
309/23	0.085
309/24	0.042
309/8	0.105
309/11	0.032
300/2	0.038
300/11	0.027
302/4	0.065
302/13	0.088
310/1	0.069
266/5	0.101
272/4	0.069
293/2	0.024

(1)	(2)
293/3	0.101
295/7	0.020
266/3	0.016
266/6	0.012
265/2	0.020
272/2	0.081
272/3	0.073
293/4	0.113
293/5	0.069
295/3	0.069
293/8	0.162
295/5	0.080
264/6	0.117
264/7	0.053
264/8	0.057
264/9	0.113
274/1	0.053
294/6	0.105
316/1	0.162
316/4	0.328
294/7	0.101
316/5	0.085
2	0.174
306	0.267
266/4	0.097
293/1	0.134
293/6	0.077
292	0.202
294/4	0.045
294/5	0.065
316/3	0.077
316/2	0.138
285/1	1.024
266/1	0.109
272/1	0.125
275	0.146
293/7	0.045
293/10	0.061
295/1	0.089
295/2	0.057
295/4	0.089
297/2	0.243
297/3	0.008
273/2	0.097
264/1	0.348
266/2	0.121
280/3	0.105
293/9	0.121
295/6	0.049
297/1	0.057
290/5	0.162
309/1	0.162
309/6	0.049
302/2	0.251
302/3	0.065
305	0.328
310/2	0.057
312	0.243
284/1 ख	0.105
267/1	0.022
267/2	0.128
267/3	0.043
267/4	0.108
267/5	0.043
269/1	0.128
269/2	0.016
269/3	0.010
269/4	0.016
284/1 क	0.065
284/1 घ	0.009
284/1 ङ	0.017
284/1 च	0.066
284/1 छ	0.022
284/1 ज	0.055
284/1 झ	0.021
284/1 ञ	0.008
311/1	0.069
311/2	0.017
311/3	0.035
311/4	0.017
273/1 ख	0.109
279/12	0.093
286/4	0.174
290/3	0.129
296/3	0.045
309/14	0.024
309/15	0.103
318/1	0.283
318/3	0.348
294/1	0.409
316/6	0.364
278/2	0.101
284/2 ख	0.049

(1)	(2)
290/2	0.129
296/1	0.040
309/3	0.089
309/19	0.089
309/20	0.089
309/9	0.040
300/1	0.031
300/5	0.064
300/6	0.064
300/7	0.064
270/1	0.091
270/2	0.091
300/4	0.170
309/5	0.037
309/13	0.103
309/21	0.035
277/4	0.069
288	0.206
277/2	0.081
296/2	0.040
309/7	0.053
309/10	0.032
268/1	0.048
277/5	0.081
290/4	0.105
302/8	0.089
302/6	0.158
309/17	0.149
285/3	0.413
285/4	0.170
308/1	0.223
308/2	0.101
308/3	0.158
308/4	0.668
308/5	0.194
308/6	0.539
308/7	0.450
योग 166	19.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 01/अ 82/09-10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-गोरकापाली, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.448 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26	0.008
28	0.024
29	0.016
30/1	0.016
30/2	0.049
30/3	0.040
30/4	0.061
30/5	0.053
36	0.032
85/1	0.040
85/2	0.028
89	0.081
योग 12	0.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोरकापाली मोहंदीकला मार्ग पर बोरई सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 02/अ 82/09-10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-मोहंदीकला, प. ह. नं. 01
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	481/1	0.032
	482/1	0.028
	482/2	0.028
	482/3	0.028
	482/4	0.028
	482/5	0.032
	482/6	0.028
	482/7	0.028
	482/8	0.032
	835/1	0.012
	835/2	0.012
	835/3	0.008
	835/4	0.032
	836/1	0.020
	836/2	0.020
	836/3	0.020
	836/4	0.016
	837	0.057
	841/1	0.028
	849/1, 849/2	0.008
	850	0.065
	854	0.085
	855	0.085
	857	0.081
	858	0.040
	859, 860	0.045
	861/2	0.028
	862/1	0.065
	862/2	0.061
योग	29	1.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोरकापाली मोहंदीकला मार्ग पर बोरई सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-पथरिया
 (ग) नगर/ग्राम-मर्राकोना
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
360	0.08

	(1)	(2)
	344/2, 363/2	0.34
	346/2	0.15
	361/1	0.05
	361/2	0.21
योग	5	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेरवा जलाशय पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-हथकेंरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1069/4	0.24
	1180	0.11
योग	02	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथकेरा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-धमनागुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.06 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	317/6	3.06
	413/6	4.00
योग	2	7.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केहरानाला जलाशय के प्रयोजन हेतु अर्जित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पसरखेत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
275/6, 278/1, 289/2	0.29
275/18, 278/3, 282/4	0.18
270/1, 275/3	0.24
270/3	0.24
209/4	0.13
113/5	0.04
209/3	0.13
113/2, 114/1	0.02
120/9	0.57
113/6	0.30
60/3	0.03
211/1	0.20
208/1, 211/2	0.14
204/3	0.08
100/1	0.10
208/4	0.05
100/2	0.22
102/1	0.03
105/1	0.11
101/2	0.13
102/2	0.20
107/1	0.02
108/1	0.30
108/2	0.16
113/4	0.06
104/2, 114/3, 115/1	0.11
117/3, 118/5	0.36
119/1	0.02
120/23	0.05
209/5	0.17
107/3	0.01
योग 31	4.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पसरखेत में धवन नाला के व्यपवर्तन योजनांतर्गत भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राज पाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-10 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 22/43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/3	0.101
45/1	0.255
45/3	0.053

	(1)	(2)
	46	0.263
योग	4	0.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह-हसदा मार्ग के कि.मी. 1/4 पर जमुनैया नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-11 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-भाटापारा
(ग) नगर/ग्राम-हसदा, प. ह. नं. 18/11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.252 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	538	0.030
	539	0.138
	540	0.084
योग	3	0.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हसदा-अमलीडीह के बीच पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिलादण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक 638/जि.प.अ./10.—छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. अग्रवाल, जिलादण्डाधिकारी, रायगढ़, रामझरंना से ऐडू मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्घटना की संभावना एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से रामझरना से ऐडू मार्ग पर आगामी आदेश तक के लिए 10 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करता हूं.

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2010.

क्रमांक 639/जि.प.अ./10.—छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. अग्रवाल, जिलादण्डाधिकारी, रायगढ़, बरमकेला-सोहेला मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्घटना की संभावना एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से बरमकेला-सोहेला मार्ग पर आगामी आदेश तक के लिए 18 चक्का की भारी वाहनों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करता हूं.

ए. के. अग्रवाल,
जिलादण्डाधिकारी.